पत्र संख्या–6/योजना–01–29/2014 गृ0आ0......................../

बिहार सरकार

गृह (आरक्षी) विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक मार्च, 2016

विषयः– **पुलिस महिला कर्मियों के लिए बैरक निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में स्वीकृत चालू योजनान्तर्गत ₹ 182.24 लाख (एक करोड़ बेरासी लाख चौबीस हजार रू0) विमुक्त करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस महानिदेशक–सह–अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के पत्रांक–879, दिनांक–25.02.2016 के संबंध में कहना है कि गृह (आरक्षी) विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या–1512, दिनांक–24.02.2014 द्वारा महिला पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के दौरान सी0टी0एस0 नाथनगर में 300 महिला पुलिस कर्मियों के आवासन हेतु दो ब्लॉक का बैरक तथा महिला बटालियन, सासाराम में 300 महिला पुलिस कर्मियों के लिए एक ब्लॉक का बैरक निर्माण हेतु ₹ 2412.865 लाख (चौबीस करोड़ बारह लाख छियासी हजार पाँच सौ रू0) की प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए कुल ₹ 603.865 लाख (छह करोड़ तीन लाख छियासी हजार पाँच सौ रू0) विमुक्त किया गया था। उक्त योजना के लिए शेष देय राशि ₹ 1809.00 लाख (अठारह करोड़ नौ लाख रू0) के विरूद्ध चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में ₹ 182.24 लाख (एक करोड़ बेरासी लाख चौबीस हजार रू0) विमुक्त करने की स्वीकृति दी जाती है।

2. उपर्युक्त विमुक्त राशि ₹ 182.24 लाख (एक करोड़ बेरासी लाख चौबीस हजार रू0) राज्य योजना की मांग संख्या–22 मुख्य शीर्ष–"4055–पुलिस पर पुंजीगत परिव्यय–उप मुख्यशीर्ष–00–लघुशीर्ष–207–राज्य पुलिस– उपशीर्ष–0101–पुलिस आधुनिकीकरण" विपत्र कोड–P4055002070101 विषयशीर्ष–53 01–मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

4. भवनों का निर्माण कार्य बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा किया जा रहा है। अतः राशि निगम के पी0एल0 खाता में जमा किया जायेगा।

5. व्यय करने के पश्चात् विहित प्रपत्र में डी0सी0 विपत्र/उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को निश्चित रूप से भेजा जायेगा।

6. बिहार कोषागार संहिता 2011 में विहीत विपत्र पर राशि की निकासी की जायेगी।

7. राशि निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यक कागजातों को संलग्न किया जायेगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र का उल्लेख अवश्य करेंगे।

9. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह0/–
(आमिर सुबहानी)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप सं0:–6/योजना–01–29/2014 गृ0आ0 2515 /पटना, दिनांक 29 मार्च, 2016

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार पटना/पुलिस महानिदेशक–सह–अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/अपर पुलिस महानिदेशक (आधुनिकीकरण), बिहार, पटना/ पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29-3-16
सरकार के प्रधान सचिव

6-voiana-01-29-2014 Old Plan